

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल


क्रमांक :लेखा/2017-18/919

दिनांक 08.02.2017

- :: आदेश ::-

निगम आदेश क्रमांक रेत/2016-17/973 दिनांक 11.01.2017 के तहत दिनांक 01.04.2016 से रॉयल्टी राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स (उपकर सहित) ठेकेदारों से **उठाई गई मात्रा** पर वसूले जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ठेके की सामान्य शर्तें कंडिका-2.3 "वाणिज्यिक कर (वेट) तथा अन्य कर व रॉयल्टी" में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सर्विस टैक्स राशि (उपकर सहित) कार्य योजना की सम्पूर्ण निर्धारित मात्रा हेतु ठेकेदार से किशतों के साथ अग्रिम में वसूली जावे। सर्विस टैक्स (उपकर सहित) राशि का समायोजन वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर आगामी माहों में किया जावेगा।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


(तरुण सती)
कार्यपालक संचालक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक (वि./ले.), मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी, उप कार्यालय होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, धामनोद, टीकमगढ़, हरदा एवं शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया ठेकेदारों से उपरोक्तानुसार देय राशि प्राप्त करें।
3. समस्त रेत व फर्शी पत्थर ठेकेदारों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. निगम की वेबसाइट पर सर्वसंबंधियों के सूचनार्थ प्रकाशन हेतु।


कार्यपालक संचालक